3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 50/2025 दायर दिनांकः 07.04.2025

उनवान

1. जगदीशप्रसाद पिता घांसीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल हाल मुकाम भवानीमण्डी तहसील पचपहाड
2. ज्योतिबाई पुत्री घासीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. पुष्पलता पुत्री घासीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र घासीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. वर्षा पुत्री घासीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. सन्तोष कुमार पुत्र घांसीलाल जाति ब्राह्मण नि. सुनेल तहसील सुनेल

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. कचरू पिता किशन जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. नौरंगबाई पत्नी प्रहलाद जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. मूलीबाई पत्नी किशन जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. महेश पिता प्रहलाद जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. राजेश पिता प्रहलाद जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. शोभाराम पिता किशन जाति गुर्जर नि. सुनेल तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल .

—**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

प्रार्थीगण — श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी सं. 1 से 6 — एकतरफा

अप्रार्थी सं. 7 — पैरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनाकः 24.12.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सुनेल पटवार हल्का सुनेल भू०अभि०नि० क्षेत्र सुनेल तहसील सुनेल में वर्तमान खाता संख्या 357 का खसरा नं. 529 रकबा 2.5293 है० आराजी स्थित है। जो प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। यह कि पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी में आने–जाने का रास्ता खसरा नं. 538 की उत्तरी मेढ़ से होकर अप्रार्थीगण के खसरा नं. 530 की उत्तरी पश्चिमी कोने की मेढ़ से होकर है। खसरा नं. 538 की उत्तरी मेढ़ पर खसरा नं. 530 की पश्चिमी मेढ़ तक रास्ता अप्रार्थीगण स्वयं के लिए चालु है। लेकिन अप्रार्थीगण ने खसरा नं. 530 की उत्तरी पश्चिमी कोने की मेढ़ पर रास्ता बन्द कर दिया है जबकि प्रार्थी के पिता ने विक्रेता सज्जनसिंह पिता शिवसिंह से भूमि खसरा नं. 530 दिनांक 15.07.1982 में खरीद की थी उस रजिस्ट्री में भी रास्ते के सम्बन्ध में लिखा हुआ है। बाद में सज्जनसिंह, भंवरसिंह, प्रतापसिंह पिता शिवसिंह से ही खसरा नं. 530 की आराजी अप्रार्थीगण 1 व 6 के पिता तथा अप्रार्थी नं. 3 के पति एवं अप्रार्थी नं. 2 के ससुर और अप्रार्थी नं. 4, 5 के दादा किशन पिता धूला ने खरीद की है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता एवं किशन द्वारा खरीद की गई आराजी के एक ही खातेदार रहे है। यह कि प्रार्थी का अपने खातेदारी की आराजी खसरा नं. 529 में आने–जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नं. 530 की उत्तरी–पश्चिमी मेढ़ से होकर रहा है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के खसरा नं. 538 व 530 में से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का माननीय न्यायालय के आदेशानुसार डी०एल०सी० दर से राशि जमा कराने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी कालान्तर में एक ही खातेदार की रही है। जिसमें खसरा नं. 529 प्रार्थी के पिता ने खरीद किया था तथा खसरा नं. 530 अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनलाल के द्वारा खरीद की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5

माननीय न्यायालय में पेश है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी ग्राम सुनेल पटवार हल्का सुनेल भू०अभि०नि० क्षेत्र सुनेल तहसील सुनेल में वर्तमान खाता संख्या 357 का खसरा नं. 529 रकबा 2.5293 हे0 पर आने–जाने का रास्ता 12 फिट चौड़ाई का ग्राम सुनेल पटवार हल्का सुनेल की आराजी खसरा नं. 350 तथा 530 की उत्तरी–पश्चिमी मेढ़ से होकर स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी नं. 7 को राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 6 के बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.08.2025 को अप्रार्थी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम सुनेल का खाता सं. 357, 1356, 1124, 1141, 1142 की जमाबंदी सं. 2073–76, खाता सं. 504, 783 की जमाबंदी सं. 2041–44 की नकल, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1982, खसरा नक्शा दिनांक 03.04.2025 पेश किया।

4. अप्रार्थी सं. 7 पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/941 दिनांक 25.09.2025 से जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि ख.नं. 529 पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी ख.नं. 529 पर पहुंचने हेतु कोई प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्राथी की भूमि ख. नं. 529 पर पहुंच हेतु सुनेल झालरापाटन मुख्य सड़क से आराजी ख.न. 541 व 542 की मध्य से होकर ख.नं. 543, 3374/838 की मध्य सीमा से होते हुए व ख.नं. 544 से 3374/538 की मध्य सीमा तक मौके पर रास्ता चालू है एव प्रचलन में है। वहां से आगे ख.नं. 538 की उत्तरी [illegible] ख.न. 529 तक रास्ता बंद है एवं मौके पर फसल खड़ी है। अतः ख.नं. [illegible] तक पहुंचने हेतु संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार ख.नं. 538 में से [illegible] फीट लम्बा एवं 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

फीट चौडा यानि 7620 वर्ग फीट यानि 0.0707 है. भूमि रास्ते के उपयोग में आवेगी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी बावजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नहीं हुए।

5. अभिभाषक प्रार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल में स्थित प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख.न. 529 रकबा 2.5293 है. भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि तक पहूँचने के लिए सुनेल झालरापाटन मुख्य सडक से होकर ख.नं. 541 व 542 की मध्य मेड से होकर ख.नं. 543 व 3374/538 की मध्य मेड से होकर पूर्व की तरफ ख.नं. 544 मेड से होकर ख.नं. 538 तक पहूँचता है। आगे ख.नं. 538 की पश्चिमी उत्तरी मेड से होकर अपनी आराजी ख.नं. 529 के दक्षिण पश्चिमी कोने पर वर्षो से पहूँचता आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण ने अपनी आराजी ख.नं. 538 में उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थी का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थी की नितान्त आवश्यकता है। अभिभाषक प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टी दिनांक 15.07.1982 को विक्रेता सज्जनसिंह से क्रय की थी जिसमें उक्त रजिस्टी में प्रस्तावित रास्ते का उल्लेख है। अप्रार्थीगण के पिता/पति ने भी यह जमीन इन्ही विक्रेताओ से खरीद की है। अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.न. 538 एवं ख.नं. 530 की उत्तरी–पश्चिमी मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

6. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार स[illegible] की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया [illegible] प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। [illegible]र्थीगण के आराजी ख.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

न 529 पर आने–जाने के लिए कोई प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। ख.नं. 541 व 542 के मध्य से होकर ख.नं. 543 व 3374/538 की मध्य सीमा से होते हुए व ख.नं. 544 व 3374/538 की मण्य सीमा से होकर 538 तक मौके पर रास्ता चालू है लेकिन ख.नं. 538 की उत्तरी सीमा से ख.नं. 529 तक रास्ता बंद है और जिस पर मौके पर फसल खडी हुई है। आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता मुख्य सडक से ख.नं. 539 व 3456/538 की पूर्वी मेड से होकर होगा लेकिन प्रार्थी ने यहां होकर रास्ता नहीं चाहा है।

7. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग – प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार दोनो इस कथन पर सहमत है कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल में स्थित प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख.न. 529 रकबा 2.5293 है. भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ग्राम ग्राम सुनेल के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार सुनेल द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में पहूँच हेतु कोई प्रचलित रास्ता नहीं होना बताया है। तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट अनुसार झालरापाटन सुनेल मुख्य सडक से होकर दक्षिण में ख.नं. ख.नं. 541 व 542 के मध्य से होकर ख.नं. 543 व 3374/538 की मध्य सीमा से होते हुए व ख.नं. 544 व 3374/538 की मध्य सीमा से होक[illegible] मौके पर रास्ता चालू है लेकिन ख.नं. 538 की उत्तरी सीमा से ख.नं. [illegible] तक रास्ता बंद है और जिस पर मौके पर फसल खडी हुई है। अतः [illegible]या वैकल्पिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। **यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा ख.नं. 541, 542, 543 व 3374/538 के खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त खसरा नम्बरान से जो वैकल्पिक रास्ता चालू होना बताया है, वह अस्थाई रास्ता है अर्थात स्थाई व पक्का रास्ता या सडक नहीं है। यदि भविष्य में उक्त खसरा नम्बरान के खातेदारो द्वारा इस अस्थाई रास्ते को बंद कर दिया गया तो पुनः प्रार्थी के लिए रास्ते की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। प्रार्थी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.07.1982 में कही भी पहूँच मार्ग का उल्लेख नहीं है।** अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु कोई स्थाई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना साबित होता है।

<u>(iii)</u> <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>— उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई स्थाई व चालू वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है जो अस्थाई वैकल्पिक रास्ता था उसे अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

<u>(iv)</u> लघुतम रास्ता होनाः— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार एवं तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोर्ट पत्र कमांक /राजस्व/2025/... दिनांक 25.09.2025 से जाहिर है कि **प्रार्थी की आराजी ख.नं. 529 तक पहूँच हेतु नवीन लघुत्तम**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता सुनेल–झालरापाटन सडक ख.नं. 3056/539 से दक्षिण की ओर ख.नं. 539 व 3456/538 एवं 3162/499 की मध्य मेड से होकर होगा लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि से होकर कोई रास्ता नहीं मांगा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता तुलनात्मक रूप से काफी लंबा होना जाहिर होता है जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा सुविधाजनक रास्ता चाहा गया है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन सुविधाजनक रास्ते का प्रावधान नहीं होकर लघुत्तम रास्ते का प्रावधान है।

(v) **डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का मुगतानः**–प्रार्थी अपनी आराजी ख.न. 529 रकबा 2.5293 है. तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. से रास्ते के रूप में आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 25.09.2025 एवं खसरा नक्शा के अवलोकन से चाहा गया रास्ता लघुत्तम रास्ता नहीं होने से धारा 251 ए आर.टीएक्ट की सभी शर्तो पूरी नहीं होती है। अतः नया रास्ते के संबंध में प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

9. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. खारीज किया जाता है। प्रार्थी पहूँच हेतु सुविधाजनक रास्ते के स्थान पर लघुत्तम रास्ते को ध्यान में रखते हुए एवं सभी खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14.28 IST
Reason: SelfAttested

24/12/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner